प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या-28/2019/2509/33-3-2019-11/2019

प्रेषक,

जोगेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायतें,
उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-3 **दिनांक: 01 अक्टूबर, 2019**

विषय: जिला पंचायतों में लोक वित्त प्रबन्ध तंत्र **(पी0एफ0एम0एस0)** व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-22/2019/1979/33-3-2019- 11/2019 दिनांक 27.08.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित बहुउद्देशीय पंचायत भवन योजना, अंत्येष्टि स्थल निर्माण योजना तथा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि के आहरण एवं उपभोग में लोक वित्त प्रबन्ध तंत्र (पी0एफ0एम0एस0) लागू किए जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त व्यवस्था ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायतों के साथ-साथ जिला पंचायतों में भी लागू की गई है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 27.08.2019 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन करते हुए अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित**:-

1. निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि समस्त जिला पंचायतों में पी0एफ0एम0एस0 लागू किए जाने के सम्बन्ध में समेकित अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।